न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी: रामकरण सिंह, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं० 51 / 2025

प्रविष्टि दिनांक 03.03.2025

उनवान

1. सीताराम पुत्र रामानन्द जाति जाट निवासी ग्राम सिरोह तह0 तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

अप्रार्थी

उपस्थित श्री रमेश कुमार शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम

दिनांक– 13.08.25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 246 रकबा 1.1129 है0 एवं ख0नं0 248 रकबा 0.5311 है. वाके ग्राम श्रीगोपालपुरा पटवार हल्का रामनगर धतुरी तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी हिस्सा जमाबंदी अनुसार खातेदार काबिज काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित भूमि में खातेदार का वास्तविक नाम सीताराम पुत्र रामानन्द जाति जाट है। जो कि सभी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। किंतु राजस्व कर्मचारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से त्रुटिवश छोटू पुत्र रामानन्द गलत रूप से अंकित हो गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में सीताराम पुत्र रामानन्द जाति जाट दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत है। राजस्व रिकॉर्ड के अलावा सभी दस्तावेजों में सीताराम पुत्र रामानन्द जाति जाट अंकित है। सभी दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनाधारकार्ड, वोटरआईडी, बैंक पासबुक, पैनकार्ड, स्मार्टकार्ड, पहचानकार्ड एवं सभी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम सीताराम पुत्र रामानन्द जाति जाट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी को अनावश्यक असुविधा कारित न हो। उक्तानुसार लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 246 रकबा 1.1129 है0 एवं ख0नं0 248 रकबा 0.5311 है. वाके ग्राम श्रीगोपालपुरा पटवार हल्का रामनगर धतुरी तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में छोटू पुत्र रामानन्द के स्थान पर सीताराम पुत्र रामानन्द जाति जाट ग्राम सिरोही जिला टोंक दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश फरमाने का निवेदन किया।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2071–74, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निवाई एवं पटवार हल्का रामनगर धतुरी व पटवार हल्का सिरोही की मौका रिपोर्ट अनुसार मुताबिक विरासत नामान्तकरण संख्या 406 दिनांक 10.01.2022 वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का रामनगर धतुरी रामानन्द पुत्र गोरधन के बजाय केदार, छोटु, प्रभु पिता रामानन्द, नर्बदा पुत्री रामानन्द, दाखा बेवा रामानन्द कौम जाट के नाम से स्वीकार होना दर्ज है। नामान्तकरण की प्रति संलग्न है। प्रार्थी से दस्तावेज मंगवाया गया तो प्रार्थी के आधारकार्ड, जनाधारकार्ड, बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र रामानन्द दर्ज है। जिसके संबंध में मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों व पारिवारिक व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की गई तो इन्होंने बताया की छोटू पुत्र रामानन्द व सीताराम पुत्र रामानन्द एक ही व्यक्ति है। मौके पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर भी करवाये गये।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का एवं पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। बहस का अलग से विवेचन नहीं किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। इसके अतिरिक्त पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी का नाम छोटू पुत्र रामानन्द व सीताराम पुत्र रामानन्द एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थी व पैरोकार सरकार के द्वारा प्रस्तुत पत्रो के तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकवालिया जवाब एवं पेरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम वावत भूमि ख0नं0 246 रकबा 1.1129 है0 एवं ख0नं0 248 रकबा 0.5311 है. वाके ग्राम श्रीगोपालपुरा पटवार हल्का रामनगर धतुरी तहसील निवाई जिला टोंक, तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अलोक मे स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में छोटू पुत्र रामानन्द के बजाय सीताराम पुत्र रामानन्द अमल दरामद कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 13/6/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी निवाई